सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

या– शीर्षक.. बनाम..

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
जाने से विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अत: प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।	
प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21.3.25 को नियत की जाती है।	
(हस्ताक्षर)	
~~वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारीजी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 21.3.25 को पेश है।~~ बाबू	
21.3.25 वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारीजी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 21.4.25 को पेश है। (हस्ताक्षर) बाबू	
21-4-2025	
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में दिनांक 25/2/25 को उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 21-3-25 को नियत की गई किन्तु उक्त दिनांक को आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रा० वास्ते आदेश आज पेश हुई। प्रकरण में उभय पक्ष को आज पुन: सुना गया। न्यायालय का मत है कि प्रार्थी आराजी चाह 840 में 1/16 हिस्से का खातेदार है। जिससे प्रार्थी जमाबन्दी में दर्ज अपने 1/16 हिस्से अनुसार अपनी भूमि की सींचाई हेतु आराजी चाह 840 का उपयोग उपभोग करने का अधिकारी	(हस्ताक्षर)

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट,

प्रकरण : संख्या– शीर्षक.. बनाम..................

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को सींचाई से रोका जाना न्यायोचित नही है। इस संबंध में प्रार्थी एवं विपक्षीगण द्वारा अपने-अपने हिस्से अनुसार की गई पिलाई का विद्युत मोटर का बिल अपना-अपना भुगतान किया जाना न्यायोचित है।
	अत: विपक्षीगण 1 व 2 के विरुद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक वादी को आराजी न० 840, जो ग्राम मियाटी तहसील-राजसमन्द में स्थित है, के उपयोग उपभोग से नहीं रोके। फसलो की पिलाई अनुसार विद्युत मोटर बिल वादी एवं प्रतिवादीगण अपना-अपना भुगतान करे।
	पत्रावली फैसला मुताबिक होकर नम्बर से कम हो।
	Sd/-